आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

रितु बहरी और अशोक कुमार वर्मा के सम्मुख, जे. जे.

रितु सहगल-अपीलकर्ता

बनाम

राकेश सहगल — उत्तरवादी एफ. ए. ओ. No.4720 OF 2017

04 मार्च, 2022

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13 (1) (आई. ए.) और (आई. बी.)-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-और 65 बी-परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984-धारा 14-क्रूरता के आधार पर पति को तलाक की डिक्री के खिलाफ पत्नी की अपील-खारिज-1984 अधिनियम की खंड 14 पति और पत्नी के बीच विवाद के कारण साक्ष्य की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता पर परिवार न्यायालय को व्यापक अधिकार दिए गए है-परिवार न्यायालय को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है, जो उसकी राय में, 1872 अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं होने पर भी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है-परिवार न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया पति का साक्ष्य-धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र और सी. डी. में बातचीत, इसके प्रतिलेख और पाठ संदेश-जिरह के दौरान, पत्नी के पास अवसर था, परन्तु उसने सबूत पेश नहीं किए । सी.डी., प्रतिलेख और टेकस्ट संदेशो मे वाक्यो को हटाया या जोड़ा गया था, पति के साक्ष्य को सही माना गया, पत्नी ने पति को महिलावादी, शराबी व बुरी आदते वाला बताया । कुरत्रता के समान पति की प्रतिषठा को नष्ट किया– अपील खारिज की गई और पति ने गुजारा भता के रूप में 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया ।

यह माना गया है कि उपरोक्त धारा ने पति और परिसन के बीच विवाद होने वाले साक्ष्य की पारिवारिक मामला प्रासंगिकता और साक्ष्य की स्वीकार्यता के मुद्दों पर व्यापक शक्तियां दी हैं जो पति और पत्नी के बीच विवाद का कारण बनते हैं।उपर्युक्त खंड के अनुसार, यह परिवार न्यायालयों का विवेकाधिकार है कि वे कोई भी साक्ष्य, रिपोर्ट,

बयान, दस्तावेज, जानकारी या मामला प्राप्त करें जो उनकी राय में विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है, भले ही वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में स्वीकार्य न हो।

(पैरा 19) ने आगे कहा गया कि, सर्वोच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय निर्णय में

अनवर पी. वी. बनाम में न्यायालय पारित हुआ। पी. के. बशीर और अन्य 2014 (10)

एस. सी. सी. 473 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी की शर्तों के अनुपालन के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है। (पैरा 20)

(रितु बहरी, जे.)

आगे कहा गया कि, तथ्यों के अनुसार, धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र को 18.11.2016 को रिकॉर्ड में रखा गया था और सीडी में बातचीत (Ex.P1), इसकी प्रतिलिपि (Ex.P2) और पाठ संदेश (Ex.P3) की बातचीत को रिकॉर्ड में लिया गया था। जिरह के दौरान, अपीलार्थी-पत्नी के पास यह दिखाने के लिए किसी भी सबूत को पेश करने का अवसर था कि सीडी (Ex.P1), इसकी प्रतिलिपि (Ex.P2) और पाठ संदेशों (Ex.P3) में वाक्यों को हटाया या जोड़ा गया था। हालांकि, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया।इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, प्रतिवादी-पति के नेतृत्व में उपरोक्त साक्ष्य को प्रतिवादी-पति के साथ हुई क्रूरता के संबंध में मुद्दा संख्या 1 का निर्णय लेने के लिए सही ढंग से ध्यान में रखा गया है।क्रूरता का एक अन्य आधार यह था कि अपीलार्थी-पत्नी अपने पति के कार्यालय में मनीष राय (पीडब्लू2) को बार-बार फोन करती थी, जो उनकी फर्म नीडल एंड थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी था। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी-पत्नी वर्ष 2013–2014 से कार्यालय में प्रत्यर्थी-पति के आने और जाने के समय के बारे में पूछताछ करने के लिए लगातार अपने कार्यालय को फोन करती थी। उन्होंने कुछ महिला सहयोगियों के बारे में भी इसी तरह की पूछताछ की थी। उन्होंने आगे कहा कि

उनसे बेहद व्यक्तिगत सवाल पूछे गए थे कि प्रतिवादी-पति महिला सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्या वह उनके साथ फ्लर्ट करते थे या नहीं। उन्होंने उनके कार्यालय के सहयोगियों से भी पूछताछ की। मनीष राय (पीडब्लू2) द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, दिनेश, जो ऑफिस बॉय था और विश्वनाथ, जो उनका पेंट्री बॉय था, के ब्यान एक ही स्तर पर थे। अपीलार्थी-पत्नी ने अपने पति को एक स्त्रीवादी, शराबी और बुरी आदतों वाला बताया था।पत्नी का उक्त कार्य क्रूरता के बराबर होगा क्योंकि इससे पति की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। पत्नी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि उसने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए ऐसा किया था, अपने पति की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के उसके कृत्य को मिटा नहीं सकता।

(पैरा 23)

कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

सनप्रीत सिंह, अधिवक्ता

अपीलकर्ता के लिए।

आशीष चोपड़ा, गुरप्रीत रंधावा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और

सुगंधा कुंडू, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता।

रीतू बहरी, जे।

सीएम-27426-सी. आई. आई.-2018

प्रार्थना के अनुसार आवेदन की अनुमति है ।

सीएम-27427-सी. आई. आई.-2018

(1) आवेदन की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी की ओर से संलग्नक आर/1 के साथ जवाब रिकॉर्ड में लिया जाता है।

(2) अपीलकर्ता, रितु सहगल, ने परिवार न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा पारित 20.03.2017 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील की हैं, जिसमें प्रतिवादी-पति राकेश सहगल को क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia) और (ib) के तहत एक याचिका में तलाक की अनुमति दी गई है।

(3) पार्टियों की शादी 11.02.1996 को संपन्न हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी। वे दिल्ली के मालवीय नगर में एक अलग घर में रह रहे थे, जहाँ उनके बड़े बेटे अर्जुन सहगल का जन्म 28.07.1997 को हुआ था और छोटे बेटे माधव सहगल का जन्म 13.07.1999 को हुआ था। हालाँकि, प्रतिवादी-पति के अनुसार, अपीलार्थी-पत्नी का व्यवहार बहुत आक्रामक था। प्रतिवादी-पति कपड़ा निर्यात व्यापार में लगा हुआ था I जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ करनी पड़ती थीं। प्रतिवादी-पति ने दोनों पक्ष के संयुक्त नामों पर सेक्टर-50, नोएडा में एक आवासीय प्लॉट खरीदा और एक घर का निर्माण किया। वे अपने बच्चों के साथ फरवरी, 2001 से अप्रैल, 2004 तक उक्त घर में रहे। इसके बाद, प्रतिवादी-पति ने उनके संयुक्त नाम पर में एक फ्लैट खरीदा, जिसका No.D-143, ओकवुड एस्टेट डी. एल. एफ. फेज-2, गुड़गांव (गुरुग्राम) और दोनों पक्ष वहां शिफ्ट हो गए।

(4) तलाक की याचिका 13.05.2014 पर दायर की गई थी जिसमें प्रतिवादी-पति ने कहा था कि उनके बड़े बेटे, अर्जुन को अपीलार्थी-पत्नी द्वारा कई बार कपड़ों के तार के हेंगर से पीटती थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके छोटे बेटे को भी कई बार अपीलार्थी-पत्नी द्वारा पीटा गया था। 30.04.2014 को पर, अपीलकर्ता-पत्नी ने अर्जुन पर चिल्लाया था कि वह एक महंगा बच्चा है और जब अर्जुन ने जवाब दिया कि उसके पिता उसे पैसे देते थे, तो उसने पुलिस को हेल्प लाइन नंबर 100 पर फोन किया और अर्जुन ने भी ऐसा ही किया।पुलिस अधिकारी आए और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे केवल तभी हस्तक्षेप करेंगे जब अपीलार्थी-पत्नी लिखित में शिकायत देगी।

आदेश 0 आदेश 1 आदेश.आदेश 0 आदेश 5 आदेश.आदेश 2 आदेश 0 आदेश 1 आदेश 4 आदेश आदेशपआदेशरआदेश,आदेश
आदेशअआदेशपआदेशीआदेशलआदेशाआदेशरआदेश्आदेशथआदेशीआदेश-
आदेशपआदेशतआदेश्आदेशनआदेशीआदेश आदेशनआदेशेआदेश

आदेशपआदेश्आदेशरआदेशतआदेशिआदेशवआदेशाआदेशदआदेशीआदेश-
आदेशपआदेशतआदेशिआदेश आदेशकआदेशेआदेश
आदेशकआदेशाआदेशरआदेश्आदेशयआदेशाआदेशलआदेशयआदेश
आदेशमआदेशेआदेशंआदेश आदेशआआदेशनआदेशेआदेश आदेशकआदेशीआदेश
आदेशधआदेशमआदेशकआदेशीआदेश आदेशदआदेशीआदेश आदेशऔआदेशरआदेश
आदेशखआदेशुआदेशदआदेश आदेशकआदेशोआदेश
आदेशबआदेशचआदेशाआदेशनआदेशेआदेश आदेशकआदेशेआदेश
आदेशलआदेशिआदेशएआदेश,आदेश आदेशउआदेशसआदेशनआदेशेआदेश
आदेशउआदेशसआदेशकआदेशेआदेश आदेशखआदेशिआदेशलआदेशाआदेशफआदेश
आदेशनआदेशिआदेशषआदेशेआदेशधआदेशाआदेशजआदेश्आदेशञआदेशाआदेश
आदेशकआदेशेआदेश आदेशलआदेशिआदेशएआदेश मुकदमाआदेश
आदेशदआदेशाआदेशयआदेशरआदेश आदेशकआदेशिआदेशयआदेशाआदेश।आदेश
इसके बाद, अपीलार्थी-पत्नी का आचरण बदतर हो गया और अंत में, प्रतिवादी-पति बच्चों के साथ 07.05.2014 को घर छोड़कर चला गया और इस पृष्ठभूमि में, तलाक की याचिका दायर की गई। बाद में, प्रत्यर्थी-पति ने परित्याग का आधार नहीं बतया।

01.05.2014 को अपीलकर्ता पत्नी ने प्रतिवादी पति के कार्यालय मे आने की धमकी दी और रबड़ को बचाने के लिए उसने उसके खिलाफ मिटनेवाला का षयंत्र दायर किया ।

(रितु बहरी, जे.)

(5) याचिका की सूचना पर, अपीलार्थी-पत्नी ने एक लिखित बयान दायर किया और आरोप लगाया कि उसके पति के परिवार के सदस्य उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे और उसने कभी भी उसके परिवार और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। जब वह फिर से नौकरी करना चाहती थी, तो उसके ससुर ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा और यह कहते हुए उसके बड़े बेटे की देखभाल करने से इनकार कर दिया कि वे उसके नौकर नहीं थे। प्रतिवादी के पति के पिता विभिन्न बीमारियों के बावजूद शराबी थे। प्रतिवादी-पति ने अपने शराबी पिता के साथ दैनिक झगड़े के आघात, उत्पीड़न और

अपमान से खुद को बचाने के लिए अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया। दोनों पक्ष किराए पर मालवीय नगर, नई दिल्ली में रहने के लिए चले गए थे । उसने स्वीकार किया कि प्रतिवादी-पति कपड़ा निर्यात में लगा हुआ था जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शामिल थी। वे 2006 से 2010 तक चेन्नई में रहे जब वे "एफसीयूके" के नाम और शैली के तहत मेसर्स फ्रेंच कनेक्शन के कंट्री हेड थे और इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों की "पिता और माता के रूप में" देखभाल की थी। उसने इस बात से इनकार किया था कि उसने कभी भी प्रतिवादी-पति के दोस्तों, रिश्तेदारों या सहयोगियों के साथ बुरा व्यवहार करती थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आई. आई. सी. ए. 2012–13 में शेफ का कोर्स किया था और सिटी एंड गिल्ड से 2012-13 में डिप्लोमा भी प्राप्त किया था। उन्हें बी. एससी. में प्रवेश मिला था। (होटल प्रबंधन) 2014 में मदुरै विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा द्वारा से। उन्होंने स्वीकार किया कि सेक्टर-50 नोएडा में प्लॉट दोनों पक्षो के संयुक्त नामों पर था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उक्त प्लॉट/घर की खरीद और निर्माण में अपनी सारी बचत का योगदान दिया था। उसने स्वीकार किया कि फ्लैट संख्या नं० डी-143, ओकवुड एस्टेट, डीएलएफ फेज-II, गुड़गांव (गुरुग्राम) पार्टियों के संयुक्त नाम पर था। उसने कहा कि पति और उसके माता-पिता के पास सुशांत लोक, गुड़गांव में क्रमशः No.B-361 और B-279 के निकटवर्ती प्लॉट थे। उसके माता-पिता सनसिटी, सेक्टर-56, गुड़गांव में रहते थे। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने कभी भी बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं की थी। उन्होंने हेरिटेज स्कूल, गुड़गांव में शिक्षा प्राप्त की थी जहाँ दोपहर का भोजन परोसा जाता था और उनका बड़ा बेटा पाथवेज इंटरनेशनल स्कूल, गुड़गांव जा रहा था जहाँ नाश्ता भी परोसा जाता था। 30.04.2014 पर, उनके बड़े बेटे अर्जुन ने उन पर अपना हाथ उठाया था। पति ने उसे डाटने के बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और इस पृष्ठभूमि में उसने पुलिस को हेल्प लाइन नंबर 100 पर फोन किया।पुलिस अधिकारियों ने उसे लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए कहा और इस पर प्रतिवादी-पति ने उससे माफी मांगी। प्रतिवादी-पति डी. एल. एफ. सिटी, फेज-II गुड़गांव में स्थित घर से दोनों बच्चों के साथ योजनाबद्ध तरीके से 07.05.2014 को निकला था। वह नाश्ता करने के बाद घर से निकला और उसी तारीख को उसे पूर्व दीवानी मुकदमे में निषेधाज्ञा के लिए सम्मन प्राप्त

हुआ। उन्होंने दिनांक 26.11.2013 को झूठे आरोपो के खिलाफ पुलिस स्टेशन डी.एल.एफ़. फेस–II गुडगाँव में शिकायत भी दर्ज करवाई थी ।

(6) प्रतिवादी-पति ने एक प्रतिकृति दायर की।

(7) दोनों पक्षों की दलीलों से, 10.04.2015 को निम्नलिखित मुद्दों तय किए गए थे :-

"1. क्या याचिकाकर्ता याचिका में उल्लिखित आधारों पर तलाक की डिक्री का हकदार है?

2. राहत"

(8) प्रतिवादी-पति पीडब्लू1 के रूप में पेश हुआ और तलाक की याचिका में अपने पक्ष को दोहराया और कहा कि दोनों पक्षों के बीच लगातार संबंध बिगड़ते रहे और अपीलार्थी-पत्नी अपने माता-पिता और उसकी बहन के प्रति शत्रुतापूर्ण और आक्रामक रही। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब उनके बेटे अर्जुन सहगल (पीडब्लू 3) के एक दोस्त के पिता ने उनसे पूछा कि अर्जुन को पीठ और छाती पर गंभीर चोट कैसे लगी है। अपने बेटे से पूछताछ करने पर, उसने खुलासा किया कि अपीलार्थी-पत्नी ने कपड़ों के तार के हैंगर से चोटें पहुचाई थीं और उसने आगे खुलासा किया कि अपीलार्थी-पत्नी ने कई मौकों पर उसे और उसके छोटे भाई को बेरहमी से पीटा था, लेकिन बच्चा बहुत डर गया था और किसी को भी इसके बारे में बताने में शर्मिंदा था। जब उसने इस बारे में अपीलार्थी-पत्नी से बात की, तो उसने आरोपों से इनकार नहीं किया और इसके बजाय आक्रमक और उदंड हो गई।पति-प्रतिवादी ने बातचीत को सीडी (Ex.P1) और इसकी प्रतिलिपि (Ex.P2) में रिकॉर्ड किया।इसके बाद, प्रतिवादी-पति ने 30.04.2014 पर हुई घटना केबारे में बताया। उसे अपने बेटे अर्जुन (पीडब्लू 3) का फोन आया, जिसने खुलासा किया कि अपीलार्थी-पत्नी उसे गाली दे रही थी और उस पर हमला कर रही थी और पुलिस को बुलाया गया था। प्रतिवादी-पति अपीलार्थी-पत्नी और अर्जुन के साथ एक पुलिस अधिकारी को खोजने के लिए घर पहुँचे। पूछताछ

करने पर, उसे पता चला कि अपीलार्थी-पत्नी ने अर्जुन पर चिल्लाते हुए आरोप लगाया था कि वह एक महंगा बच्चा है और जब अर्जुन ने जवाब दिया कि उसके पिता उसे पैसे देते थे, तो उसने उस पर हमला किया और उसे गाली दी, इसके अलावा उसने प्रतिवादी-पति की मां और बहन को वेश्या कहा। उसने यह आरोप लगाते हुए प्रतिवादी-पति को चिल्लाया और गाली दी कि उसका लंदन में अपनी महिला सहकर्मी के साथ संबंध था जो उसके पति से अलग हो गई थी। प्रतिवादी-पति ने यह समझाने की कोशिश की थी कि उसका केवल उस महिला के साथ पेशेवर संबंध था। हालाँकि, वह अपीलार्थी-पत्नी को शांत नहीं कर सका और वह अपने अन्य सहयोगियों से महिला सहकर्मी के साथ उसके आचरण के बारे में पूछताछ करती रही। वह उसे अपमानजनक संदेश और कॉल भेजती थी। प्रत्यर्थी-पति ने विश्वनाथ ने राकेश सहगल का मज़ाक भी उड़ाया था कि अगर अपना घर ठीक नहीं रख सकते तो ऑफिस कैसे चलओगे । उन्होने कहा कि राकेश सहगल (प्रतिवादी–पति) किसी से विवाद नहीं करने वाले, ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति थे दो महिलाओं और पुरुषो के साथ व्यवहार करते थे ।

915

(रितु बहरी, जे.)

उसे अपने पेशेवर जीवन को नष्ट नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 01.05.2014 को, उसने उनके कार्यालय मे आने की धमकी दी थी और इसके कारण उन्हें उनके खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर करना पड़ा, जिसे खारिज कर दिया गया और उक्त आदेश के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। इस पृष्ठभूमि में, उसने बच्चों के साथ 07.05.2014 को वैवाहिक घर छोड़ दिया था। (9) प्रत्यर्थी-पति ने मनीष राय (पीडब्लू2) से पूछताछ की, जो उनकी फर्म नीडल एंड थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी थे। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी-पत्नी वर्ष 2013–14 मे लगातार कार्यालय में प्रत्यर्थी-पति के आने और जाने के समय के बारे में पूछताछ करती थी। उन्होंने कुछ महिला सहयोगियों के बारे में भी इसी तरह की पूछताछ की थी। उन्होंने आगे कहा कि उनसे बेहद व्यक्तिगत सवाल पूछे गए थे कि उत्तरदाता-पति महिला सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्या वह उनके साथ छेड़छाड़ करते थे या नहीं। उन्होंने रितु

सहगल (अपीलार्थी-पत्नी) को यह भी बताया कि सवाल अनुचित थे।उन्होंने अपने कार्यालय के दो सहयोगियों का भी इन कॉल का जिक्र किया। दिनेश, जो ऑफिस बॉय था और विश्वनाथ, जो उनका पेंट्री बॉय था।उन्होंने उसे बताया था कि उन्हें भी रितु सहगल (अपीलार्थी-पत्नी) से इसी तरह के फोन आए थे।

(10) अंत में, दोनों पक्षो के बड़े बेटे, अर्जुन, जो (पीडब्लू 3) के रूप में पेश हुए, ने कहा कि उनके और उनके भाई के साथ उनकी माँ द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, और उन पर हमला किया गया और इससे उनका बहुत अपमान हुआ और उन्होंने दोहराया कि उन्हें उनकी माँ द्वारा कपड़ों के तार के हैंगर से बुरी तरह पीटा गया था और वह उन्हें और उनके भाई को "बिना किसी तर्कसंगत कारण के" पीटती थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने मित्र यश को अपनी पीड़ा सुनाई थी, जिससे अपने पिता को भी यही बात बताई थी। इसके बाद, उनके पिता यानी प्रतिवादी-पति ने उनकी माँ यानी अपीलार्थी-पत्नी से पूछताछ की। हालाँकि, वह अवज्ञाकारी थी और जोर से चिल्लाती और गाली देती थी और इससे उसे मानसिक आघात हुआ। उन्होंने 30.04.2014 की घटना को भी दोहराया।

(11) परिवार न्यायालय ने कहा कि जब प्रतिवादी-पति से जिरह की गई थी, तो अपीलार्थी-पत्नी ने उससे सीडी (Ex.P1) और इसकी प्रतिलिपि (Ex.P2) के बारे में सवाल नहीं किया था।संदेशों (Ex.P3) में, पत्नी-अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से अपने रिश्ते को समाप्त करने की मांग की थी और अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य (Ex.P1 से Ex.P3) पर उससे जिरह नहीं की गई थी।उन्होंने दस्तावेजों (Ex.P1 से Ex.P3) की सत्यता से इनकार नहीं किया।उसने स्वीकार किया कि उक्त दस्तावेज़

प्रतिवादी-पति की जिरहवी रिकॉर्डिंग दर्ज करने से पहले उन्हें प्रदान किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद, उक्त दस्तावेजों में कथित चूक और परिवर्तन या हेरफेर के बारे में कोई सुझाव प्रतिवादी-पति को नहीं दिया गया था। उसने अपने माता-पिता से इस बात का समर्थन करने के लिए पूछताछ नहीं की कि उसे पति, उसके परिवार के सदस्यों के

साथ-साथ उसके बच्चों द्वारा भी परेशान किया जा रहा था। उसकी दलीलों या शपथ पत्र में ऐसा कोई दावा नहीं था कि उसके पति ने 30.04.2014 पर उसके बच्चों की उपस्थिति में उसे थप्पड़ मारा था और इस पृष्ठभूमि में, मौखिक संस्करण को परिवार न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।अपनी जिरह में, अपीलार्थी-पत्नी ने स्वीकार किया था कि उसने मनीष राय (पीडब्लू2) को छह बार फोन किया था और उसने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके बड़े बेटे अर्जुन के पास उसके खिलाफ गवाही देने का कोई कारण नहीं था।

(12) परिवार न्यायालय ने ज्ञान में पारित निर्णयों को संदर्भित किया था

चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1, लक्ष्मीबाई (मृत) थ्री। एल. आर. और ए. एन. आर. बनाम भगवानतुवा (मृत) थ्री. एल. आर., 2013 (1), सीमा बनाम अलकेश चौधरी 2 और मेघना सिंह और अन्य बनाम

गुरदियाल सिंह और अन्य इस प्रस्ताव पर कि यदि किसी गवाह से किसी विशेष तथ्य पर जिरह नहीं की गई है, तो उसके साक्ष्य के निर्विवाद हिस्से पर भरोसा किया जाना चाहिए।

(13) प्रत्यर्थी-पति ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी (4) के तहत दिनांक 18.11.2016 (फॅमिली कोर्ट रिकॉर्ड का पृष्ठ संख्या 329 का प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड पर रखा था जो Ex P1 to Ex P3 की पहचान करता है । इसलिए पारिवारिक न्यायालय ने एक निष्कर्ष निकाला कि उक्त दस्तावेज़ (Ex P1 to Ex P3) सिद्ध हुए ।

(14) उपरोक्त साक्ष्य को देखने के बाद, परिवार न्यायालय ने गुरबक्स सिंह बनाम मामले में पारित निर्णयों द्वारा उल्लेख करते हुए

हरमिंदर कौर सुनीता देवी बनाम श्री लाला, सुमन कपूर बनाम सुधीर कपूर, सुजाता उदय पाटिल बनाम उदय मधुर पाटिल नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली और डॉ. एन. जी. दास्ताने बनाम श्रीमती एस डराने के मामले मे प्राप्ति निर्णयो का उल्लेख करते हुए

(1) 2013(3) एसीजे 49

(2) 2011 3 CCC 785 (3) 2004 (1) CCC 525 (4) (2010) 14 SCC 301 (5) AIR 2009 HP 52 (6) (2009) 1 SCC 422 (7) (2006) 13 SCC 272 (8) AIR 2006 SC 1675 रितु सहगल बनाम राकेश सहगल

(रितु बहरी, जे.)

एस. दास्ताने 9 ने माना कि प्रत्यर्थी-पति ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया था कि अपीलार्थी-पत्नी ने हमेशा अपने साथ गलत व्यवहार किया था और उसने कभी भी पत्नी, माँ या बहू बनने के तरीके से व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य Ex.P1 से Ex.P3 को प्रस्तुत करने पर भी आपत्ति नहीं जताई थी।उसने इस बात से इनकार नहीं किया था कि उसने प्रतिवादी-पति की माँ और बहन को वेश्या कहा था। उन्होंने प्रतिवादी-पति की निष्ठा पर सवाल उठाने या उनके सहयोगियों से पूछताछ करने पर आरोप लगाने से भी इनकार नहीं किया था। उसने प्रतिवादी-पति के साथ टैक्सट संदेशो (Ex.P3) से भी इनकार नहीं किया था। उनके बड़े बेटे अर्जुन के खिलाफ गवाही देने का कोई कारण नहीं था। फिर भी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी माँ (अपीलार्थी-पत्नी) हमेशा अशिष्ट, अपमानजनक, झगड़ालू और बिना उकसावे के आक्रामक रही हैं। वह एक बड़ा लड़का है और यदि उसकी पत्नी पीड़ित होती तो वह अपनी माँ का समर्थन करता। पारिवारिक न्यायालय ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर लाए गए मामले पारिवारिक जीवन की सामान्य टूट फुट से कही अधिक थे। इसलिए, प्रतिवादी-पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया था।

(15) अपीलार्थी-पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कंवलजीत सिंह ने तर्क दिया है कि सीडी (Ex.P1), इसकी प्रतिलिपि (Ex.P2) और लिखित संदेश (Ex.P3) में रिकॉर्ड की गई बातचीत को रखने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी (4) के तहत दिनांक 18.11.2016 (पारिवारिक न्यायालय रिकॉर्ड का पृष्ठ संख्या 329) प्रमाण पत्र साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने 2020 के सी. आर. सं०. 1616 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया है जिसका शीर्षक नेहाऔर अन्य बनाम विभोर गर्ग और अन्य, जिसमें यह माना गया है कि

पत्नी की जानकारी के बिना बातचीत रिकॉर्ड करने का कार्य अवैध है और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे रामचंदर बनाम अनंत 10 में पारित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है।

संजीव कुमार की पत्नी संगीता रानी बनाम संजीव कुमार पुत्र मनमोहन लाल 11, दिनेश कोतवाल बनाम अंजू कोतवाल 12, दिलबाग बनाम श्रीमती। सुशीला 13 और अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) सं. 17337-17338-2017 जिसका शीर्षक कर्नल पवन कुमार शर्मा बनाम है।श्रीमती.

भावना शर्मा, इस प्रस्ताव पर कि ईर्ष्या, स्वार्थ और अधिकार की भावना जो नाखुशी या तनाव पैदा करते है केवल ठंडक या स्नेह की कमी क्रूरता और अपरिवर्तनीय नहीं है

9 (1975) 2 एससीसी 326

10 2015(2) आर. सी. आर (सिविल) 1

11 2017(1) लॉ हेराल्ड 102 12 2017 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 136 13 2017 (3) पी. एल. आर. 671

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह टूटने को तलाक की डिक्री देने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

(16) प्रतिवादी-पति की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष चोपड़ा ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है।

प्रीति जैन बनाम कुणाल जैन और अन्य 14 दीपाली संतोष लोखंडे बनाम श्री संतोष वसंतराव लोखंडे 15 और दीप्ति

कपूर बनाम कुणाल जुल्का 16 ने तर्क दिया कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की

स्वीकार्यता के संबंध में विचार किया गया है।यह लगातार माना गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी की शर्तों का पालन किए बिना पति और पत्नी के बीच संचार साक्ष्य में स्वीकार्य था और परिवार न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के अनुपालन पर जोर दिए बिना ऐसे साक्ष्य की जांच करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 14 के तहत विवेकाधिकार दिया है।

(17) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना।

(18) पारिवारिक न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 65-बी के तहत प्रमाण पत्र दिनांक 18.11.2016 (Ex.P4) है। प्रत्यर्थी-पति ने अपना शपथ पत्र 19.02.2016 (Ex.PW1/A) प्रस्तुत किया और उसी तारीख को उन्होंने सीडी Ex.P1, इसकी प्रतिलिपि Ex.P2 और टेक्स्ट संदेश Ex.P3 प्रस्तुत किए। 24.10.2016 को, प्रतिवादी-पति से जिरह की गई। जिरह के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने टेक्स्ट संदेश (Ex.P3) प्रस्तुत किए थे और सीडी (Ex.P1) को तैयार किया था। सीडी की सामग्री, इसकी प्रतिलिपि और टेक्स्ट संदेश (Ex.P1 से P3) पर केवल पूछताछ की गई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड 65 बी के तहत प्रमाण पत्र को 18.11.2016 को रिकॉर्ड में रखा गया था और पत्नी से 21.12.2016 को जिरह की गई थी और उसने स्वीकार किया था कि प्रतिवादी-पति की जिरह दर्ज करने से पहले उसे सी. डी. (Ex.P1.) की प्रति प्रदान की गई थी और उसने यह भी स्वीकार किया था कि दिनांक 21.12.2016 (Ex.RW 1/A.) अपने शपथ पत्र में उसने सी. डी. (Ex.P1.) या इसकी प्रतिलिपि (Ex.P2.) के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने केवल प्रतिलिपि Ex.P2 में शामिल सामग्री से इनकार किया। टेक्स्ट संदेशों Ex.P3 के संबंध में, उन्होंने कहा कि कुछ वाक्य गायब थे और कुछ वाक्यों को शामिल किया गया था।उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने उन वाक्यों के विवरण को रिकॉर्ड पर नहीं लाया है, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्हें Ex.P3 में गलत तरीके से शामिल किया गया था।

14 2016 AIR (राजस्थान) 153

15 2018(1) Mh.LJ 944

(रितु बहरी, जे.)

जो वाक्य जिन्हें Ex.P3 में छोड़ दिया गया था।इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, सी. डी. Ex.P1, इसकी प्रतिलिपि, Ex.P2 और टेक्स्ट संदेश Ex.P3 रिकॉर्ड का हिस्सा थे और अपीलार्थी-पत्नी को 21.12.2016 को जिरह करने से पहले दिए गए थे। यहां तक कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र भी उनकी जिरह से पहले यानी 18.11.2016 को दाखिल किया गया था।चूंकि सीडी Ex.P1, इसकी प्रतिलिपि Ex.P2 और पाठ संदेश Ex.P3 की शुद्धता के संबंध में अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था, इसलिए इन सबूतों की सामग्री को परिवार न्यायालय द्वारा सही ढंग से स्वीकार किया गया था और तलाक याचिका पर निर्णय लेने के लिए ध्यान में रखा गया था।इस बिंदु पर, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रीति जैन बनाम कुणाल जैन और अन्य मामलों में पारित एक फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। उस मामले में, न्यायालय ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 14 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी और 122 की जांच की थी।परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 14 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"परिवारिक न्यायालय साक्ष्य के रूप में कोई भी रिपोर्ट, बयान, दस्तावेज, जानकारी या मामला प्राप्त कर सकता है जो उसकी राय में किसी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में उसकी सहायता कर सकता है, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के तहत अन्यथा प्रासंगिक या स्वीकार्य हो या नहीं।-परिवार न्यायालय साक्ष्य के रूप में कोई भी रिपोर्ट, बयान, दस्तावेज, जानकारी या मामला प्राप्त कर सकता है जो उसकी राय में किसी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में उसकी सहायता कर सकता है, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत अन्यथा प्रासंगिक या स्वीकार्य हो या नहीं।"

(19) उपर्युक्त धारा ने पति पत्नी के बीच विवाद मे होने वाले साक्ष्य की प्रासंगिकता और साक्ष्य की स्वीकार्यता के मुद्दों पर पारिवारिक न्यायालय को व्यापक अधिकार दिए हैं। उपर्युक्त धारा के अनुसार, यह परिवार न्यायालयों का विवेकाधिकार है कि वे कोई भी

साक्ष्य, रिपोर्ट, बयान, दस्तावेज, जानकारी या मामला प्राप्त करें जो उनकी राय में विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है, भले ही वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में स्वीकार्य न हो। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 14 में यह प्रावधान है कि एक पारिवारिक न्यायालय कोई भी साक्ष्य, रिपोर्ट, बयान, दस्तावेज, जानकारी या मामला प्राप्त कर सकता है जो उसकी राय में उसके समक्ष विवादों के प्रभावी निर्णय की सुविधा प्रदान करेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 चाहे वह अन्यथा प्रासंगिक या स्वीकार्य हो या नहीं" 17 2016 ए. आई. आर. (राज) 153

इसलिए उपरोक्त धारा यह स्पष्ट करती है कि साक्ष्य की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के मुद्दे जो नियमित सुनवाई को नियमित करते हैं, पारिवारिक न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही का बोझ नहीं डालते हैं। यह पारिवारिक न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह परीक्षण पर उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य, रिपोर्ट, बयान, दस्तावेज, जानकारी आदि को प्राप्त करे या नहीं, चाहे वह उसके समक्ष विवादों के प्रभावी निर्णय की सुविधा प्रदान करे या नहीं।उपरोक्त के अलावा, मेरा मानना है कि 1872 के अधिनियम की धारा 65 बी केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के दितीयक साक्ष्य से संबंधित है। यह मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ बिल्कुल सबंधित नहीं है, जैसा कि तत्काल मामले में होता है, जहां पिनहोल कैमरा, एक हार्ड डिस्क मेमोरी के साथ जिस पर रिकॉर्डिंग की गई थी, परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर [(2014) 10 एससीसी 473] के मामले में

सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह 1872

के अधिनियम की धारा 65 बी की शर्तों के अनुपालन के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है। वह साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य का रंग लेगा, फोरेंसिक जांच और जिरह के आधार पर इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा, मेरा विचार है कि 1872 के अधिनियम की धारा 122 के तहत पति और पत्नी के संचार के संबंध में विशेषाधिकार भी आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 14 परिवारिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 को ग्रहण करती है। परिवारिक न्यायालय के समक्ष उपरोक्त धारा 14 एक विशेष कानून है, इसलिए कहने के लिए, सामान्य कानून के खिलाफ, जो 1872 के अधिनियम की खंड 122 पति और पत्नी के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार को समाहित करती है।"

(20) उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया

अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर और अन्य 18, के मामले में यह माना जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, वही साक्ष्य अधिनियम की खंड 65 बी की शर्तों के अनुपालन के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है। पैरा सं. 20,22,23 और 24 में इसे निम्नानुसार देखा गया हैः-

"20. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उपनाम अफसान गुरु

18 2014(10) एस. सी. सी. 473 रितू सहगल बनाम राकेश सहगल

(रितु बहरी, जे.)

गुरु, 2005 (3) शीर्ष आपराधिक 49:(2005) 11 एससीसी 600, ए

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था। सेलफोन से संबंधित कॉल

के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड के प्रिंटआउट पर विचार करते हुए, इसे पैराग्राफ-150 में इस प्रकार रखा गया थाः

“150. धारा 63 के अनुसार, द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और

अन्य बातों के अलावा, "यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां जो स्वयं में प्रतिलिपि की सटीकता सुनिश्चित करती हैं, और ऐसी प्रतियों की तुलना में प्रतियां" शामिल हैं। धारा 65 किसी दस्तावेज़ की सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है यदि मूल ऐसी प्रकृति का है जो आसानी से हटाया जा सके इससे कोई विवाद में नहीं है कि कॉल रिकॉर्ड में मौज़द जानकारी विशाल सर्वर में संग्रहीत की जाती है जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी पैरा 276 में यही टिप्पणी की है। इसलिए, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कंप्यूटर/सर्वर से लिए गए और सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रिंटआउट को एक गवाह के माध्यम से साक्ष्य के रूप मे पेश किया जाया जा सकता है जो प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर की पहचान कर सकता है या अन्यथा उसके व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर तथ्यों की बात कर सकता है। धारा 65-बी की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित एक प्रावधान है, साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि धारा 65-बी की उप-धारा (4) में विवरण वाला प्रमाण पत्र तत्काल मामले में दायर नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, भले ही कानून प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसे साक्ष्य देने की अनुमति देता हो।”

22. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक विशेष प्रावधान होने के नाते, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 63 के तहत दितीयक साक्ष्य पर सामान्य कानून उसी के अनुरूप होगा। सामान्य विशेष गैर-अपमानजनक, विशेष कानून हमेशा सामान्य कानून पर हावी रहेगा। ऐसा

प्रतीत होता है कि न्यायालय ने इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित धारा 59 और 65 ए ध्यान दें देना छोड़ दिया।

धारा 63 और 65 का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य के मामले में कोई उपयोग नहीं है; यह पूरी तरह से धारा 65 ए और 65 बी द्वारा शासित है। उस हद तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर कानून का बयान, जैसा कि इस अदालत ने नवजोत संधू मामले (सुपरा) में कहा है, सही कानूनी स्थिति को निर्धारित नहीं करता है। इसे रद्द करने की आवश्यकता है और हम ऐसा करते हैं। द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 65 बी के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है।इस प्रकार, सी. डी., वी. सी. डी., चिप आदि के मामले में, दस्तावेज़ लेते के समय प्राप्त धारा 65 बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जिसके बिना, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य, अस्वीकार्य है।

23. अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने सीडी, प्रदर्शनी-पी4, पी8, पी9, पी10, पी12, पी13, पी15, पी20 और पी22 के संबंध में धारा 65 बी के संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, गीतों, घोषणाओं और भाषणों का उपयोग करने वाली भ्रष्ट प्रथा के संबंध में स्थापित पूरा मामला धारशाही हो जाता है।

24. यदि अपीलकर्ता घोषणा और गीतों के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को साक्ष्य में उपलब्ध कराकर प्राथमिक साक्ष्य प्पेश किया होता तो स्थिति अलग होती। यदि आपत्तिजनक गीतों या घोषणाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को पुलिस या चुनाव आयोग के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया जाता और उसी का उपयोग प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता, तो उच्च न्यायालय यह देखने के लिए अदालत में चला सकता था कि क्या आरोप सही थे। इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। भाषणों, गीतों और घोषणाओं को अन्य उपकरणों का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया और

उन्हें एक कंप्यूटर में फीड करके, सीडी बनाई गई, जिन्हें बिना उचित प्रमाणीकरण के अदालत में पेश किया गया था। उन सीडी को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की खंड 59,65 ए और 65 बी के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर द्वितीयक साक्ष्य पर पिछले पैराग्राफ में हमने जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद यदि कोई

(रितु बहरी, जे.)

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, वही साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी में शर्तों के अनुपालन के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है।

(21) उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, राज्य का निर्णय

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उपनाम अफसान गुरु 19 को अनवर पी. वी. के मामले (ऊपर) में खारिज कर दिया गया था।

(22) इसलिए, उपरोक्त निर्णय और नेहा के मामले (सुपरा) में पारित निर्णय से अपीलार्थी-पत्नी को कोई मदद नहीं मिलेगी। हालाँकि, नेहा के मामले (सुपरा) के फैसले के खिलाफ, एसएलपी (सी) -

21195- 2021 लंबित है।

(23) वर्तमान मामले में, तथ्यों के अनुसार, धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र 18.11.2016 को रिकॉर्ड पर रखा गया था और सीडी में बातचीत (Ex.P1), इसकी प्रतिलिपि (Ex.P2) और टेक्स्ट संदेश (Ex.P3) को रिकॉर्ड में लिया गया था। जिरह के दौरान, अपीलार्थी-पत्नी के पास यह दिखाने के लिए किसी भी सबूत को पेश करने का अवसर था कि सीडी (Ex.P1), इसकी प्रतिलिपि (Ex.P2) और पाठ संदेशों (Ex.P3) में वाक्यों में हटाया या जोडा गया था। हालांकि, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, प्रतिवादी-पति के साथ हुई क्रूरता के संबंध में मुद्दा

संख्या 1 का निर्णय लेने के लिए सही ढंग से ध्यान में रखा गया है।क्रूरता का एक अन्य आधार यह था कि अपीलार्थी-पत्नी अपने पति के कार्यालय में मनीष राय (पीडब्लू2) को बार-बार फोन करती थी, जो उनकी फर्म नीडल एंड थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी था। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी-पत्नी वर्ष 2013–14 मे लगातार उनके कार्यालय में फोन करके प्रत्यर्थी-पति के कार्यलय मे आने और जाने के समय के बारे में पूछती थी । उन्होंने कुछ महिला सहयोगियों के बारे में भी इसी तरह की पूछताछ की थी। उन्होंने आगे कहा कि उनसे बेहद व्यक्तिगत सवाल पूछे गए थे कि प्रतिवादी-पति महिला सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्या वह उनके साथ छेड़छाड़ करते थे या नहीं। उसने उनके कार्यालय के सहयोगियों से भी पूछताछ की। मनीष राय (पीडब्लू2) द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, दिनेश, जो ऑफिस बॉय था और विश्वनाथ, जो उनका पेंट्री बॉय था, एक ही स्टार पर थे। अपीलार्थी-पत्नी ने अपने पति को एक महिलावादी, शराबी और बुरी आदतों वाला बताया था। पत्नी का उक्त कार्य क्रूरता की श्रेणी में आयोग क्योंकि इससे पति की प्रतिष्ठा घूमिल होगी। पत्नी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि उसने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए ऐसा किया था, उसने पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उसके कृत्य को मिटा नहीं सकता ।

19 2005 (3) शीर्ष आपराधिक 49

विश्वनाथ अग्रवाल 20 ने कहा कि पत्नी द्वारा अखबार में नोटिस प्रकाशित करना, जिससे यह निराधार आरोप लगाया गया कि उसका पति महिलावादी और शराबी था, क्रूरता के बराबर होगा और उसने आगे कहा कि तलाक की याचिका दायर करने के बाद होने वाली क्रूरता की घटना को भी ध्यान में रखा जा सकता है। मानसिक क्रूरता की अवधारणा व्यक्ति- पालन-पोषण, संवेदनशीलता के स्तर, शैक्षिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाज, परंपरा, धार्मिक

विश्वास, मानवीय मूल्यों और उनकी मूल्य प्रणाली के आधार पर भिन्न होती है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और उनका सारांश इस प्रकार हैः-

धारा 13 (1) (आई. ए.) क्रूरता को परिभाषित नहीं करती है और इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह शारीरिक है, तो अदालत को इसे निर्धारित करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। अगर यह मानसिक है, तो समस्या कठिनाई प्रस्तुत करनी है।

शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी, 1988 (1) एस. सी. सी.

105 पर भरोसा किया गया।

((ii) अभिव्यक्ति 'क्रूरता' का मानव आचरण या मानव व्यवहार के साथ एक अविभाज्य संबंध है-यह हमेशा सामाजिक स्तर या उस वर्ग पर निर्भर करता है जिसके पक्ष उनकी सामाजिक स्थिति से बाहर हैं।

(iii) कानूनी क्रूरता की अवधारणा सामाजिक अवधारणा और जीवन स्तर के विकास के परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है-कानूनी क्रूरता स्थापित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि शारीरिक हिंसा का उपयोग किया जाए।शोभा

रानी बनाम मधुकर रेड्डी, 1988 (1) एस. सी. सी. 105, पर भरोसा किया गया।

(iv) एक मामले में क्रूरता के रूप में कलंकित तथ्यों का एक समूह दूसरे मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। कथित क्रूरता काफी हद तक जीवन के प्रकार या उनकी ऑफिस और सामाजिक स्थितियों पर निर्भर हो सकती है I शोभा रानी बनाम

मधुकर रेड्डी, 1988 (1) एस. सी. सी. 105, पर भरोसा किया।

(v) प्रत्येक मामला अलग- हो सकता है- शिकयात के अनुसार मानव व्यवहार, क्षमता या आचरण को सहन करने में असमर्थता के आधार पर किसी भी मामले में नए प्रकार की क्रूरता सामने आ सकती है।

शेल्डन बनाम शेल्डन, 1966 (2) ऑल इंग्लैंड रिपोर्टर 257, पर भरोसा किया।

(रितु बहरी, जे.)

(vi) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) में मानसिक क्रूरता को मोटे तौर पर उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्ष को ऐसी मानसिक पीड़ा और पीड़ा देता है जिससे उस पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होता है।

(vii) एक मामले में क्रूरता क्या है, यह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं हो सकती। क्रूरता की अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति पालन-पोषण, संवेदनशीलता के स्तर, शैक्षिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक विश्वास, मानवीय मूल्यों और उनकी मूल्य प्रणाली के आधार पर भिन्न होती है।

समर घोष बनाम जया घोष, 2007 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 515:2007(2) आर. सी. आर. (सिविल) 595,2007 (2) हालिया शीर्ष निर्णय (आर. ए. जे.) 177, पर भरोसा किया गया।

(viii) मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है और यह आवश्यक रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकले जाना वाला निष्कर्ष है।

प्रवीण मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता 2002 (3) आर. सी. आर. (सिविल)

529 पर भरोसा किया गया।

(ix) मानसिक क्रूरता के प्रश्न पर उस विशेष समाज के वैवाहिक संबंधों के मानदंडों के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए जिससे वे संबंधित हैं, उनके सामाजिक मूल्य, स्थिति और पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं।ए. जयचंद्र बनाम अनील

कौर 2005 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 309, पर भरोसा किया गया।

(24) इसके अलावा, दोनों पक्षो के बड़े बेटे अर्जुन (पीडब्लू 3) द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि पारिवारिक जीवन के सामान्य टूट-फूट के अलावा, पति और

पत्नी के बीच सामान्य संबंध नहीं थे। एक अवसर पर अपीलार्थी-पत्नी ने अर्जुन पर हमला किया था और 30.04.2014 को पुलिस को बुलाया गया था। जिरह में, उनकी माँ के खिलाफ लगाए गए पिटाई और दुराचार के आरोपों के बारे में उनसे कोई सवाल नहीं किया गया था।उन्होंने 30.04.2014 के संस्करण से इनकार नहीं किया और उन्हें केवल एक सुझाव दिया गया था कि जब पुलिस आई थी तो क्या उनके पिता मौजूद थे, लेकिन अर्जुन ने स्पष्ट किया था कि उनके पिता बाद में आए थे जब उन्होंने उन्हें बुलाया था।

(25) अपीलार्थी-पत्नी ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि उसके रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों या नौकरों की मौखिक गवाही के रूप में उसके बेटे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था घटना दिनांक 30.04.2014 की है जैसा कि अर्जुन (पीडब्लू 3) द्वारा उसके खिलाफ आरोप लगाया गया था। वह नहीं हुआ ।

(26) वर्तमान मामले में, दिनांक 22.12.2021 को पक्षकारों से बातचीत कर अंतिम समझौते के लिए प्रयास किए गए थे। प्रत्यर्थी-पति ने अपार्टमेंट (डीएलएफ सिटी, फेज-II, गुड़गांव (गुरुग्राम), जहां अपीलार्थी-पत्नी रह रही थी, में अपने हिस्से को उसके नाम पर स्थानांतरित करने की पेशकश की थी और वह पूरे अंतिम समझौते के लिए Rs.50 लाख का भुगतान करने के लिए तैयार था I और इस अदालत में पेश होने से पहले, 3-4 मध्यस्थता पहले ही हो चुकी थी। हालाँकि, उक्त प्रस्ताव को अपीलार्थी-पत्नी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जो अपनी बहन, दीक्षा आनंद के साथ मौजूद थी और इस पृष्ठभूमि में, अपील को अंतिम तर्क के लिए सूचीबद्ध किया गया था। दिनांक 09.08.2018 आदेश के अनुसार प्रतिवादी–पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के रूप में Rs.80,000/- प्रतिमाह का भुगतान भी कर रहा है।

(27) छोटा बेटा माधव सहगल भी 22.02.2022 को अदालत में पेश हुआ था और वह अपनी आंखों में आँसू लेकर भावुक हो गया था, और चाहता था कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण

तरीके से अलग हो जाएं। वह 22 साल का एक युवा लड़का है और उसने अपने पिता को गुरुग्राम में स्थित फ्लैट के हस्तांतरण के अलावा अपीलार्थी-पत्नी को Rs.80 लाख का भुगतान करने के लिए मना लिया, जहां वह रह रही थी। हालाँकि, अपीलार्थी-पत्नी उक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं थीं।

(28) क्रूरता के संबंध में परिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को साक्ष्य यानी सीडी Ex.P1, इसके अनुवाद Ex.P2 और टेक्स्ट संदेशों Ex.P3 के साथ-साथ प्रतिवादी-पति और उनके बेटे अर्जुन सहगल (पीडब्लू3) के पूर्व सहयोगी मनीष राय (पीडब्लू2) द्वारा दिए गए बयान से विधिवत साबित हुए हैं।

(29) क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया है। इसके अलावा, दोनों पक्ष 07.05.2014 से अलग अलग रह रहे हैं और 11.02.1996 को उनकी शादी हुए लगभग 8 साल बीत चुके है यह मृत और अपरिवर्तनीय विवाह का मामला है।

(30) इसलिए, परिवारिक न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा पारित निर्णय और डिग्री दिनांक 20.03.2017 हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। हालाँकि, यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी-पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के रूप में Rs.80,000/- p. m. दिया जा रहा है, प्रत्यर्थी-पति को उसे स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में Rs.50 लाख देने का निर्देश दिया जाता है।

(31) अपील खारिज कर दी जाती है।

लंबित आवेदन (यदि कोई हो) का निपटारा कर दिया जाता है।

(अस्वीकरण स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी वयवहारिक और अधिकारक उदेशयों के लिए निर्णय का अँग्रेजी सन्सकरण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्व्यन के उदेशय के लिए उपुयक्त रहेगा)।

विजय कुमार

अनुवादक